बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0– 4/निदे०अनु०जनजातिआ०वि० (राज्य स्कीम) संधा०–181–03/2026 18

प्रेषक,

सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

दिनांक– 08/05/2026

विषय–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश– *स्वीकृत।*

2– स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष 0106 आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष 0106.01.01–वेतन, 0106 01.03–जीवन यापन भत्ता, 0106. 01.04–मकान किराया भत्ता, 0106.01.05–परिवहन भत्ता, 0106.01.06–चिकित्सा भत्ता, 0106.01.07–अन्य भत्ता, 0106.06. 01–चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0106.11.01–यात्रा व्यय, 0106.13.01–कार्यालय व्यय, 0106.13.03–दूरभाष, 0106.13.04–विद्युत प्रभार एवं 0106.28.02–संविदा सेवायें मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770106 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, तथा संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन संचिका सं0–4/निदे०अनु० जनजातिआ०वि० (राज्य स्कीम) संधा0–181–03/2026 के पृष्ठ– / टि० पर प्राप्त है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
07.05.26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 4/निदे०अनु०जनजातिआ०वि० (राज्य स्कीम) संधा0–181–03/2026 – 18
दिनांक– 08/05/2026

प्रतिलिपि :–(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.05.26
सरकार के सचिव